

# कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102560

दिनांक: 08/05/2023

### लोक सूचना

श्रीमति DEVIKA SHEKHAWAT पुत्री श्री DIGVIJAY SINGH SHEKHAWAT जाति RAJPUT निवासी JAI GOVIND STUD AND AGRICULTURAL FARM, NEAR JHARKHAND TEMPLE, KHATIPURA, JHOTWAR, JAIPUR

श्री DIGVIJAY SINGH SHEKHAWAT पुत्र श्री GOVIND SINGH जाति RAJPUT निवासी JAI GOVINDSTUD AND AGRICULTURAL FARM NEAR JHARKAND TEMPLE PREM PURA KHATIPURA JAIPUR

श्रीमति DIVYA SHEKHAWAT पुत्री श्री DIGVIJAY SINGH SHEKHAWAT जाति RAJPUT निवासी JAI GOVIND STUD AND AGRICULTURAL FARM, NEAR JHARKHAND TEMPLE, KHATIPURA, JHOTWAR, JAIPUR

श्रीमति USHA RAJYALAXMI SHEKHAWAT पत्नी श्री DIGVIJAY SINGH SHEKHAWAT जाति RAJPUT निवासी JAI GOVIND STUD AND AGRICULTURAL FARM, NEAR JHARKHAND TEMPLE, KHATIPURA, JHOTWAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	USHA RAJYALAXMI SHEKHAWAT, DIGVIJAY SINGH SHEKHAWAT, DIVIYA SHEKHAWAT, DEVIKA SHEKHAWAT	2413/806	8852	0.8852
				कुल	0.8852

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

राज्य लोकसर्वजनिक अधिकारी  
एवं उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

**विषय:-** लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चौसला, तहसील चाकसू के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

  
उपस्थित जोन-14  
जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1031  
दिनांक:- 08/05/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102467

दिनांक: 08/05/2023

लोक सूचना

श्री RAMKISHAN MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA जाति MEENA निवासी SHANKARPURA, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	894	1300	0.13
2.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	889	300	0.03
3.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	893	1300	0.13
<b>कुल</b>					<b>0.29</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



## आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवन विहार के भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 186.63 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 145 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1236  
दिनांक 5-11-2023



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

128404

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बस्सी सीतारामपुरा बी भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संगम विहार के भूखण्ड संख्या 02 क्षेत्रफल 331.00 वर्ग, फूल सिंह यादव पुत्र श्री मनीराम यादव द्वारा जोन में फ्री-होल्ड/पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। भूखण्ड का भाग ग्राम गजसिंहपुरा के खसरा नम्बर 54 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,

पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)

जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी- 988

दिनांक:- 02/05/2023

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 42)

दिनांक:- 4/5/2023

—: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग.)	ग.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मणी देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह	श्रीमती मणी देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह	16-ए	113.44	श्री महावीर स्वामी	शिवास्तुपरम विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र की छायाप्रति, खोया पाया, एफ.आई.आर एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर (प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-939

दिनांक:- 5/5/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री छोटूराम पुत्र श्री गोपाल	श्री मामचन्द शर्मा पुत्र श्री मांगेलाल शर्मा	156	266.66 व0ग0	बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति	24 विमान विहार	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	सोसायटी द्वारा जारी साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने के कारण।
2	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री नंद कुमार सोनी	स्वयं	25 सीए	40	विकास भवन निर्माण सहकारी समिति	मोती विहार	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	सदस्यता सूची में भूखण्ड अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 418

दिनांक:-4/5/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती प्रेम कुमारी मीणा पत्नी श्री फूल चन्द मीणा	श्रीमती प्रेम कुमारी मीणा पत्नी श्री फूल चन्द मीणा	119	100	महाराणा प्रताप	वैशाली सिटी	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
2	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	श्री रामगोपाल धायल पुत्र श्री मन्ाराम धायल	50	233.33	राम नगर	लक्ष्मी नगर	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं अपजीकृत इकरारनामे के आधार पर।
3	श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह	श्री चिमन सिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाट	सी-13 ईस्ट पार्ट	249.4	शांति नगर	टी.सी. नगर ब्लॉक-सी	लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह	श्री चिमन सिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाट	सी-13 वेस्ट पार्ट	245.22	शांति नगर	टी.सी. नगर ब्लॉक-सी	लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
5	श्रीमती सुरज्ञान कंवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह	श्रीमती सुरज्ञान कंवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह	34	111.1	महाराणा प्रताप	श्री करणी उमा विहार-डी	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
6	श्री महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री पदम सिंह	श्री महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री पदम सिंह	112-ए	96.26	मोती भवन	कैलाश विहार	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

11  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर (प्रथम)  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर।





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1032

दिनांक:- 5.5.23

## आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	137936	श्री सुशील कुमार दुबे पुत्र श्री श्याम नारायण दुबे	श्रीमती शिव कुमार दुबे पत्नी श्री श्याम नारायण दुबे	196	260.00	नद जीवन	निर्माण नगर-सी	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
2.	137679	श्रीमती चन्द्रकला मिश्रा पत्नी स्व. श्री दयाशंकर	श्री दयाशंकर मिश्रा पुत्र श्री नाथू लाल	78	191.66	पथिक भवन	सूर्य नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

  
उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

  
उपायुक्त जोन-5



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-995

दिनांक 3-5-23

### आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं; जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री डगलचन्द मीणा	श्रीमती मन्नी देवी पत्नी श्री डगलचन्द	45	103.15 व.ग.	निजी खातेदारी	मीणा कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण	रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि

उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-7647

दिनांक 4.5.23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

  
प्रवीण कुमार  
उपायुक्त, जोन-12/2  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102537

दिनांक : 04/05/2023

लोक सूचना

श्री शम्भू दयाल सैनी पुत्र श्री भौरी लाल सैनी जाति माली निवासी 75, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।  
श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति माली निवासी 71, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।  
श्री हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति माली निवासी 70, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।  
श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी जाति माली निवासी 72, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	गांचिवा, कालवाड (जयपुर)	शम्भू दयाल सैनी पुत्र भौरी लाल सैनी	227	7588.00	0.7588
2.		राकेश कुमार, हनुमान सहाय पुत्र कन्हैया लाल सैनी	228	5564.00	0.5564
3.		राकेश कुमार, हनुमान सहाय पुत्र कन्हैया लाल सैनी	229	3162.00	0.3162
4.		कैलाश चन्द, राकेश कुमार, हनुमान सहाय पुत्र कन्हैया लाल सैनी	1041/251	1757.00	0.1757
				कुल	1.8071

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UCH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04.05.2023 को जारी की गयी।

  
प्रवीण कुमार  
अधिकृत अधिकारी, जोन-12,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-7668

दिनांक : 5-5-23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60मीटर जोनल प्लान 11बी की रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 2430/2425 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि के खातेदार/खातेदारों श्री बिरदीचन्द पुत्र हरनाथ हि. पूर्ण जाति जाट जमाबन्दी अनुसार दर्ज होने पर बिरदीचन्द पुत्र हरनाथ द्वारा रजिस्ट्री कटारिया एस्टेट एलएलपी जरिये अधिकृत अनमोल कटारिया पुत्र श्री शीतल कटारिया निवासी ए-13, गजेन्द्र मार्ग, महावीर नगर टोंक रोड, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद-विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-12 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

(बाबू लाल गोयल)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. कटारिया एस्टेट एलएलपी जरिये अधिकृत अनमोल कटारिया पुत्र श्री शीतल कटारिया निवासी ए-13, गजेन्द्र मार्ग, महावीर नगर टोंक रोड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली

जयपुर विकास प्राधिकरण-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555